

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-10 मेरठ।
परिवाद संख्या 6195/18

अशीष भारद्वाज

बनाम

श्रीमती प्रिया धीर आदि

02.07.2019

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। परिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादी अपना परिवाद वाद नहीं चलाना चाहता है। साक्ष्य के अभाव में परिवादी का परिवाद धारा 203 द.प्र.सं. के अन्तर्गत निरस्त होने योग्य है।

आदेश

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 203 द.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

ए.सी.जे.एम. दशम मेरठ।

This is uncertified copy for information
/reference. For authentic copy please refer to
certified copy only